न्यायालय भूमि सुधार उपसमाहर्त्ता, खूँटी

अनुमति वाद संख्या :– 481/2019–20

(छोटानागपुर काश्तकारी अधिनियम की धारा – 46)

सिद्धार्थ कुमार पोढ़ – विक्रेता

सुषमा केरकेट्टा – क्रेता

आदेश की क्रम संख्या और तारीख	आदेश और पदाधिकारी का हस्ताक्षर	आदेश पर की गई कार्रवाई के बारे में टिप्पणी, तारीख सहित
15.09.20	**आदेश** आवेदक सिद्धार्थ कुमार पोढ़ पिता स्व0 सुशील कुमार पोढ़ ग्राम–बिरहू, पो0–बिरहू, थाना–खूँटी, थाना खूँटी जिला खूँटी ने सुषमा केरकेट्टा पति अरूण कुमार सुरिन ग्राम–कदमा, थाना–खूँटी, जिला खूँटी के साथ निम्नलिखित भूमि के विक्रय हेतु छोटानागपुर काश्तकारी अधिनियम की धारा 46 के अन्तर्गत अनुमति हेतू आवेदन पत्र दिया है।	

ग्राम	थाना नं0	खाता नं0	खेसरा सं0	रकबा(एकड़ में)
बिरहू	239	06	1172	0.42
			1173	0.17
				0.59

उभय पक्ष अपने विद्वान अधिवक्ता के साथ उपस्थित हुए आवासीय/जाति प्रमाणपत्र/खतियान एवं लगान की रसीद सं0 0454737017 की छायाप्रति प्रस्तुत की गई। नोटिस का तामिला प्रतिवेदन प्राप्त है। अंचल अधिकारी, खूँटी के पत्रांक 468 दिनांक 24.06.20 से जाँच प्रतिवेदन प्राप्त हुआ है। जाँच प्रतिवेदन के अनुसार प्रश्नगत भूमि खतियानी है। खतियानी रैयत का नाम अबीरहम उराँव हैं। पंजी II के अनुसार मोस्मात एलिम जेन्द्रिता ग्लेम के नाम भूमि का रकवा 4.36 एकड़ है। आवेदक के पास रकबा कुल रकबा 4.36 एकड़ भूमि है। मालगुजारी का भुगतान वित्तीय वर्ष 2018–19 तक किया गया है। भूमि का न्युनतम प्रस्तावित 27306.00(सत्ताईस हजार तीन सौ छः)रू0 प्रति डीसमिल है। इस भूमि के विक्रय में आवेदक के हिस्सेदारों की कोई आपत्ति नहीं है। भूमि विक्रय के बाद आवेदक के पास कुल भूमि अवशेष 3.77 एकड़ रह जाती है। इस प्रकार आवेदक भूमिहीन नहीं होते हैं।

क्रेता द्वारा दाखिल किये गये आवासीय प्रमाण पत्र सं0– JHRC/2020/16143 दिनांक 11.02.2020 का जांच हेतु न्यायालय पत्रांक 140/न्या0 दिनांक 07.09.20 द्वारा कार्यपालक पदाधिकारी अनुमण्डल खूँटी से कराने हेतु पत्राचार किया गया। उनके पत्रांक 538 दिनांक 10.09.20 द्वारा प्रतिवेदित किया गया कि उक्त प्रमाण पत्र अनुमण्डल पदाधिकारी, देवघर से निर्गत है। इससे स्पष्ट है कि क्रेता एक थाना के निवासी नहीं है।

अतः छोटानागपुर काश्तकारी अधिनियम की धारा– 46 के प्रवधान अनुसार क्रेता एवं विक्रेता एक ही थाना के निवासी होना अनिवार्य है। क्रेता खूँटी के निवासी नहीं होने के कारण उनके द्वारा दाखिल किया गया आवेदन अस्वीकृत किया जाता है। अभिलेख अभिलेखागार, खूँटी में जमा करें।

लेखापित एवं संशोधित

15/09/20

भूमि सुधार उप समाहर्त्ता,
खूँटी।

15/09/20

भूमि सुधार उप समाहर्त्ता,
खूँटी।